दो रुपये TWO RUPEES (court fee stamps)

(131)

समक्षः न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.

निगरानी-4463/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण कंमाक ...

मुन्नालाल यादव स्वर्गीय पन्नालाल यादव आयु – 50 वर्ष

निवासी – ग्राम लाउखेडी तहसील हूजूर जिला भोपाल म.प्र .... आवेदक

विरूद्व

1. प्रदीप दुबे आत्मज राम दुबे आयु – 50 वर्ष लगभग
2. संजीव दुबे आत्मज राम दुबे – 45 वर्ष लगभग
   निवासीगण – पंचवटी कालोनी , एयरपोर्ट रोड ,
   भोपाल
3. चंद्रपाल देवानी आत्मज प्रभुदास देवानी आयु – 40 लगभग
   निवासी – टी.टी. नगर भोपाल म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू –राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनॉक 05.06.2017 एंव सम्पूर्ण सीमाकांन प्रकरण संबधी प्रकिया पारित द्वारा नयाब तहसीलदार महोदय वृत – 01 अंतर्गत प्रकरण कंमाक 128/अ–12/2016–2017 मुन्नालाल विरूद्व प्रदीप दुबे व अन्य।

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

9. यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक एक अनपढ व्यक्ति है और केवल हस्ताक्षर करना जानता हैं और मूल रूप से ग्राम लाउखेडी तहसील हूजूर जिला भोपाल की निवासी है। आवेदक के स्वत्व और स्वामित्व की भूमि ग्राम डोबरा खसरा कंमाक – 199 रकबा 0.730 हैक्टयर तथा खसरा कंमाक – 280 रकबा 0.660 हैक्टयर खसरा कंमाक – 281 रकबा 0.110 हैक्टयर तहसील हूजूर जिला भोपाल में स्थित है। जिसे आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया था।

10. यह कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाकांन के लिये आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में दिनॉक 10.06.14 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर सम्बधित अधिकारी द्वारा प्रकरण कंमाक – 119/अ–12/13–14 पंजीबद्व किया जाकर तथा समस्त पडोसियो को सूचना पत्र तामिल की उपरांत सीमाकांन दिनॉक 27.06.2014 को किया गया था। जिसमें आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर सीमाकांन टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से किया गया था। जिसमें आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा कंमाक 199 कुल रकबा 0.730 हैक्टयर में से रकबा 0.004 हैक्टयर भूमि पर अनावेदक कंमाक – 01 व 02 आवेदक के पडोसी कृषक प्रदीप दुबे एंव संजीव दुबे दोनो आत्मज श्री राम दुबे का अवैध अतिकमण पाया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4463/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदक की ओर से श्री दीपक सिंह, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 5-6-17 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 28-6-18 को लगभग एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदिका को प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी दिनांक 1-11-17 को मिल गई थी । उसके बाद भी निगरानी दायर करने के लिए अत्यधिक विलम्ब किया गया है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं है, अत: विलम्ब माफ किए जाने योग्य नहीं है । न्याय दृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	